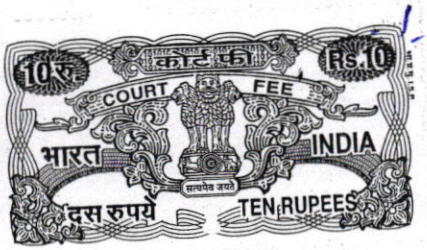

न्यायालय मान0 राजस्व मण्डल,

मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण कमांक -एक/2016

प्रहलाद सिंह (मृतक) पुत्र गुलाब सिंह

वारिस

1- बीरेन्द्र सिंह 2- रबीन्द्र सिंह

3- प्रद्युम्न सिंह 4- विकम सिंह

सभी पुत्रगण स्वर्गीय प्रहलाद सिंह

निवासी ग्राम टीकमगढ़

तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर ---अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा धारा 50 सहपठित धारा 8, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत - तहसीलदार टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 1 अ 19(4)/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 22-6-2000 के अमल को शासकीय अभिलेख से पटवारी व्दारा खसरे से विलोपित कर देने के विरूद्ध)

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 2472–एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
4-10-16	यह निगरानी तहसीलदार टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 01 अ–19 (4) /1999–2000 में आदेश दिनॉक 22–6–2000 से आवेदकगण के स्वर्गीय पिता प्रहलाद सिंह पुत्र गुलाब सिंह के हित में ग्राम टीकमगढ़ किला स्थित भूमि सर्वे कमांक 2865 रकबा 0.500 हैक्टर के दिये गये पटटे अनुसार खसरे में चली आ रही भूमिस्वामी के नाम की प्रविष्टि खसरे से विलोपित कर देने के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों अनुसार तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 01 अ–19 (4) /1999–2000 में आदेश दिनॉक 22–6–2000 से स्वर्गीय प्रहलाद सिंह पुत्र गुलाब सिंह के हित में ग्राम टीकमगढ़ किला की भूमि सर्वे कमांक 2865 रकबा 0.500 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का पटटा प्रदान किया। पटटा अनुसार शासकीय अभिलेख में आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि अंकित चली आ रही थी, किन्तु नवीन खसरा निर्माण के दौरान हलका पटवारी ने आवेदकगण के नाम के बजाय भूमि शासकीय लिख दी। निगरानी मेमो के तथ्यों अनुसार आवेदकगण के पिता प्रहलाद सिंह का स्वर्गवास	

हो चुका है एंव वर्तमान में आवेदकगण भूमि पर काविज होकर खेती करते आ रहे हैं। आवेदकगण ट्रेक्टर लेने के उद्धेश्य से जब बैंक ऋण हेतु बैंकर्स से संपर्क करने गये तब नवीन वर्ष के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगने पर पता चला कि भूमि शासकीय अंकित है एंव वर्तमान पटवारी ने बताया कि भूमि वर्ष 2011 में शासकीय दर्ज हो चुकी है पिता के मरने के वाद आपका नामान्तरण नहीं हुआ है। तब अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर दिनांक 30–7–16 को तहसीलदार टीकमगढ़ से संपर्क किया एंव आवेदन देकर खसरा सुधार की मांग की, किन्तु तीन–चार दिन वाद तहसीलदार व्दारा आने की कहा और जब तीन चार दिन वाद तहसीलदार से संपर्क किया तब उन्होंने कार्यवाही से मुहॅू--जवानी इंकार कर दिया। तब यह निगरानी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक एंव मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि तहसीलदार टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 01 अ–19 (4) /1999–2000 में आदेश दि. 22–6–2000 से आवेदकगण के स्वर्गीय पिता प्रहलाद सिंह के हित में ग्राम टीकमगढ़ किला स्थित भूमि सर्वे कमांक 2865 रकबा 0.500 हैक्टर का पटटा दिया है जो तहसील न्यायालय व्दारा आवेदकगण को जारी की गई खसरा वर्ष 1998–99

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 2472–एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
	लगायत 2010–11 की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है और इस प्रमाणित प्रतिलिपि के खण्डन पर अनावेदक के अभिभाषक मौन रहे हैं। 5/ नामांतरण पंजी के सरल क्रमांक 7 पर की गई प्रविष्टि दिनांक 23–6–2000 की प्रमाणित प्रतिलिपि (जो तहसील न्यायालय से आवेदकगण को जारी की गई है) प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन पर पाया गया कि आवेदकगण के पिता स्वर्गीय प्रहलाद सिंह के नाम जारी किये गये पट्टा प्रकरण क्रमांक एंव आदेश के अमल की प्रविष्टि नामांतरण पंजी के सरल क्रमांक 7 पर है। अतएव आवेदकगण के स्वर्गीय पिता वादग्रस्त भूमि के पटटाग्रहीता होकर शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी अभिलिखित होना प्रमाणित है। 7/ तहसील न्यायालय से आवेदकगण को जारी की गई खसरा वर्ष 1998–99 लगायत 2010–11 की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि आवेदकगण के स्वर्गीय पिता प्रहलाद सिंह के नाम वादोक्त भूमि भूमिस्वामी स्वत्व अंकित है किन्तु खसरा वर्ष 2012–13 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार खसरे के कालम नंबर 3 में भूमि (शासकीय) शब्द लिख दिया गया है एंव स्वर्गीय प्रहलाद सिंह के मरण उपरांत उनके नाम को हटा दिया गया है। आवेदकगण, के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण के स्वर्गीय पिता के नाम की	

भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को बिना सक्षम आदेश के हलका पटवारी ने नवीन खसरा बनाते समय उनका नाम हटाकर शासकीय लिखा है जबकि हलका पटवारी को बिना सक्षम आदेश के खसरे से भूमिस्वामी के नाम को विलोपित करने की शक्तियॉ नहीं है। उक्तांकित खसरा प्रविष्टियों अनुसार आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क पर अविश्वास का कोई कारण नहीं बनता है क्योंकि पटवारी को किसी भी भूमिस्वामी के नाम को खसरे से विलोपित करने अथवा नवीन खसरा बनाते समय खसरे में सॅशोधन करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 117 इस प्रकार है :-

" धारा 117 - भू अभिलेखों में की प्रबिष्टियों के बारे में उपधारणा - भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधाणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। "

स्वर्गीय प्रहलाद सिंह के नाम खसरा वर्ष 1998-99 लगायत 2010-11 में भूमिस्वामी स्वत्व की प्रविष्टियों के बारे में अनुमान के आधार पर अन्यथा अर्थ लगाया जाकर उनके स्वत्व एंव स्वामित्व में छेड़छाड़ अथवा खसरे में काटछॉट करना न्यायिक प्रकिया के विरूद्ध कार्यवाही है , जबकि प्रहलाद सिंह की मृत्यु के वाद उसके विधिक वारिस आवेदकगण के नाम वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण किया जाना चाहिये था, किन्तु हलका पटवारी व्दारा अधिकार एंव कर्तव्यों के विपरीत जाकर बिना सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त किये वादोक्त भूमि शासकीय दर्ज करने की त्रृटि की गई है।

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 2472–एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.

8/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि पटटा प्राप्ति के वाद से वादोक्त भूमि को आवेदकगण एंव उनके पिता ने मिलकर पड़त से कृषि योग्य बनाया है तथा समतल करने में काफी मेहनत की है। सिंचाई साधन बनाने में काफी धन खर्च किया है। आवेदकगण अब चार परिवारों में विभक्त हो चुके है यदि वर्ष 2000 में दिये गये पटटे की भूमि उनसे वर्ष 2016 में वापिस ली जाती है तब आवेदकगणों को परिवारों का पालन–पोषण करना मुश्किल हो जावेगा। यदि आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय –

1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।
2. देवी प्रसाद विरूद्ध नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त । तत्पश्चात् आवन्टन रद्ध नहीं किया जा सकता।

विचाराधीन प्रकरण में हलका पटवारी ने अधिकारविहीन कार्यवाही करते हुये आवेदकगण के स्वर्गीय पिता के नाम की खसरे में चली आ रही भूमिस्वामी के नाम की प्रविष्टि को विलोपित कर नवीन खसरा बनाते समय वादग्रस्त भूमि शासकीय अंकित करने की त्रृटि की है जिसके कारण आवेदकगण को व्यर्थ मुकदमेवाजी में उलझलना पड़ा है ।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है एंव म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम टीकमगढ़ किला स्थित भूमि सर्वे कमांक 2865 रकबा 0.500 हैक्टर के भूमिस्वामी प्रहलाद सिंह के स्वर्गवास हो जाने के कारण आवेदकगण को उनका विधिक उत्तराधिकारी होने के आधार पर नामान्तरण स्वीकार करते हुये चालू वर्ष के खसरे (कम्प्यूटराईज्ड खसरा सहित) में आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप में अंकित करावें।

सदस्य